

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चांपा (छ०ग०)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक २ / दो-12-45/07,

जांजगीर, दिनांक 11 / 05 / 2022

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु वर्ष 2022 के लिये दिनांक 16.05.2022 से 10.06.2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

अतः इस न्यायिक जिला स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 3 में दर्शाये अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं कॉलम नं. 5 में दर्शाये अनुसार मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क्र 0	अधिकारी का नाम	ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश जून, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	दिनांक 30.05.2022 से 10.06.2022 तक	12 दिन	दिनांक 28.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 12.06.2022 तक
2.	श्रीमती गीता नेवारे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सक्ती	दिनांक 16.05.2022 से 28.05.2022 तक	13 दिन	दिनांक 14.05.2022 को आयोजित लोक अदालत पश्चात् से दिनांक 30.05.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
3.	श्री यशवंत कुमार सारथी, अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC), सक्ती	दिनांक 01.06.2022 से 10.06.2022 तक	10 दिन	दिनांक 31.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 13.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
4.	श्रीमती पल्लवी तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	दिनांक 16.05.2022 से 28.05.2022 तक	13 दिन	दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 29.05.2022 तक
5.	श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर	दिनांक 23.05.2022 से 01.06.2022 तक	10 दिन	दिनांक 20.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 02.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
6.	श्रीमती गंगा पटेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चांपा	दिनांक 16.05.2022 से 28.05.2022 तक	13 दिन	दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 30.05.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
7.	श्री जितेन्द्र प्रधान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, अकलतरा	दिनांक 16.05.2022 से 28.05.2022 तक	13 दिन	दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 30.05.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
8.	कु० चेतना ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सक्ती	दिनांक 16.05.2022 से 28.05.2022 तक	13 दिन	दिनांक 14.05.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत पश्चात् से दिनांक 28.05.2022 तक
9.	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर	दिनांक 16.05.2022 से 20.05.2022 तक एवं 02.06.2022 से 10.06.2022 तक	14 दिन	दिनांक 15.05.2022 से 22.05.2022 तक एवं 02.06.2022 से दिनांक 13.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
10.	कु० लीनम बनसोड़े, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, जैजैपुर	दिनांक 23.05.2022 से 02.06.2022 तक	11 दिन	दिनांक 20.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 03.06.2022 के कार्यालय समय पूर्व तक

11.	श्री रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, डभरा	दिनांक 01.06.2022 से 10.06.2022 तक	10 दिन	दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 12.06.2022 तक
12.	श्री अंशुल मिंज, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पामगढ़	दिनांक 01.06.2022 से 10.06.2022 तक	10 दिन	दिनांक 31.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 13.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
13.	कु0 प्रीति, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नवागढ़	दिनांक 16.05.2022 से 25.05.2022 तक	10 दिन	दिनांक 14.05.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत पश्चात् से दिनांक 26.05.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
14.	श्रीमती श्रद्धा सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सक्ती	दिनांक 30.05.2022 से 10.06.2022 तक	12 दिन	दिनांक 28.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 13.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
15.	श्री रजत कुमार निराला, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, मालखरौदा	दिनांक 16.05.2022 से 24.05.2022 तक एवं 08.06.2022 से 10.06.2022 तक	12 दिन	दिनांक 14.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 24.05.2022 तक एवं 07.06.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से 13.06.2022 के न्यायालयीन समय पूर्व तक
16.	श्री विकास खाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जांजगीर	दिनांक 23.05.2022 से 31.05.2022 तक	09 दिन	दिनांक 20.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 01.06.2022 तक के न्यायालयीन समय पूर्व तक
17.	श्री अमन तिग्गा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जांजगीर	दिनांक 23.05.2022 से 31.05.2022 तक	09 दिन	दिनांक 20.05.2022 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 01.06.2022 तक के न्यायालयीन समय पूर्व तक

टीप :- सरल क्रमांक 16 एवं 17 के न्यायिक अधिकारियों का ग्रीष्मकालीन अवकाश इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि, माननीय रजिस्ट्री/छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी, बिलासपुर से प्रशिक्षण संबंधी कोई आदेश प्राप्त होने पर स्वीकृत अवकाश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा छ0ग0

पृष्ठांकन क्र0 ४५) /दो-12-45/07,
यथा आदेश प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 11/05/2022

1. प्रथम/द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर/सक्ती।
2. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सक्ती।
3. प्रथम/द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा।
4. प्रथम/द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जांजगीर/सक्ती/नवागढ़/पामगढ़/मालखरौदा/डभरा/जैजैपुर।
5. प्रस्तुतकार, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, जांजगीर-चांपा।
6. प्रस्तुतकार, विशेष न्यायाधीश(SC/ST)/अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),जांजगीर

7. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर।
8. सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय जांजगीर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट में अपडेट करने हेतु प्रेषित।
9. अधिवक्ता संघ, जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा/नवागढ़/पामगढ़/मालखरौदा/डभरा/जैजेपुर।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.2022
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा (छ0ग0)